जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

6/6/2018 - पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलार्थी ने बताया कि ग्राम पुर में आरा० नं० 8353/1, 8384, 8385 व 9330/8384 अपीलार्थी के दादा प्रताप पिता बिरदीचन्द के खातेदारी की थी। प्रतापजी के देहान्त पर तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा विरासत का नामा० नं० 3593 दि० 26/2/2002 को खोला जिसमें अपीलान्ट का नाम प्रेमचन्द के बजाय प्रेमशंकर दर्ज कर दिया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जाँच किए बिना ही यह गलत नाम दर्ज किया जो दुरुस्ती योग्य है। मैंने विद्यालय टी.सी., पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि पेश किए हैं। जिसमें प्रेमचन्द दर्ज है। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी इन्तकाल नं० 3593 को निरस्त फरमा राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमशंकर के बजाय प्रेमचन्द दर्ज किए जाने का आदेश फरमावें। वकील रेस्पोडेन्ट ने दुरुस्ती किए जाने हेतु सहमति दी।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपील के तथ्यों का अध्ययन करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ग्राम पुर की आरा० नं० 8353/1

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

8384-8385 व 9330/8384 श्री प्रताप
पिता बीरु बोला की खातेदारी में दर्ज थी।
श्री प्रताप पिता बीरु के फौत होने पर
अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा
ने प्रताप की विरासत का नाम० सं० 3593
सम्पादित किया। नाम० के कॉलम सं० 1 4 में
नोट अंकित है कि प्रताप दि० 2-3-96 को फौत
व मांगीलाल 2-4-59 को फौत। श्री प्रताप के
तीन पुत्र मांगीलाल-मोहन व मूलचन्द थे इनमें
से मांगीलाल भी फौत। रेस्पोडेन्ट सं० 1 से
लगायत 4 स्व० मांगीलाल के वारिस है जिनका
नाम उक्त इन्तकाल सं० 3593 में अंकित है।
परन्तु विरासत के इस इन्तकाल में अपीलान्ट का
नाम प्रेमचन्द के बजाय प्रेमशंकर दर्ज कर
दिया। स्व० मांगीलाल के मिठू व प्रेमचन्द दो
ही पुत्र है प्रेमशंकर नाम का कोई पुत्र नहीं है।
इसकी पुष्टि वकील रेस्पोडेन्ट ने भी बहस
स्वीकार किया। पत्रावली में कक्षा 5 वीं की
रा०उ०मा० विद्यालय पुर द्वारा जारी टी०सी० की
फोटो प्रति संलग्न है जिसमें अपीलार्थी का
नाम प्रेमचन्द रेगर पिता मांगीलाल पुर दर्ज है।
ड्राइविंग लाईसेन्स, पेनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र
में अपीलान्ट का नाम प्रेमचन्द पिता मांगीलाल
होना सिद्ध होता है जिससे अधीनस्थ न्यायालय
द्वारा पारित नाम० सं० 3593 दि० 26/2/2002
अपास्त किए जाने योग्य है।
अतः उपरोक्त विवेचन के आधार

के द्वारा निर्णित नामा क्र० 3593 दिनांक 26/2/2002 को निरस्त किया जाता है एवं ग्राम पुर की आ०न० 8353/1 रकबा 03 बीघा, आ०नं० 8384 रकबा 1-12 बीघा, आ०न० 8385 रकबा 1-12 बीघा व आ०न० 9330/8384 रकबा 01 बिस्वा कुल योग 4 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि को मृतक प्रताप पिता वीरबोला निग पुर की विरासत के सम्बन्ध में वारिसान की जाँच कर अजसरे नव निर्णय पारित किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा को रिमाण्ड किया जाता है। आदेश तैयार कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेशानुसार कार्यवाही हेतु भिजावे। पत्रावली पैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा